क्रम सं.	अपराध का संक्षिप्त विवरण	धारा/नियम	प्रकार	दण्ड
निर्वाचन अपराध संबंधी सभाएं				
1	भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या, घृणा की भावना संप्रवर्धित करना या संप्रवर्धित करने का प्रयास करना	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 और आई पी सी की धारा 153 क	संज्ञेय	3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
2.	मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिरोधः कोई भी व्यक्ति- (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबधित करेगा; या (ख) चलचिय, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा, या (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोग प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126	संज्ञेय	2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
3	सार्वजनिक सभा में सभा को निवारित करने के प्रयोजन से दूसरों को बेढगा कार्य करने के लिए कार्रवाई करना या उद्दीप्त करना	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127.	संज्ञेय	6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों
वाहनों संबंधी अपराध				
	यदि कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र से या में स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न किसी निर्वाचक के मुक्त परिवहन के लिए गैर कानूनी ढंग से कोई वाहन भाड़े पर लेता है या उपाप्त करता है तो उसे दोषी समझा जाएगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 133.	गैर संज्ञेय	3 महीने का कारावास या जुर्माना
निर्वाचन ड्यूटी में शामिल अधिकारियों/ व्यक्तियों के संबंध में				
1	ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में भतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा। इसका उल्लंघन एक अपराध समझा जाएगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128	गैर संज्ञेय	3 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों
2	निर्वाचन के संचालन से संसक्त कोई भी अधिकारी किसी भी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से भिन्न) कोई कार्य नहीं करेगां।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129	संज्ञेय	6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों
3	किसी निर्वाचन से संसक्त किसी ड्यूटी में शामिल किसी व्यक्ति द्वारा औचित्यपूर्ण कारण के बिना पदीय कर्तव्य को भंग करना	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134	संज्ञेय	500 रु. तक जुर्माना
4	अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन	लोक प्रतिनिधित्व	गैर संज्ञेय	3 महीने का कारावास या

	अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाला सरकार की सेवा में कोई व्यक्ति	अधिनियम 1951 की धारा 134 क		जुर्माना या दोनों
मतदान की तारीख (खों) में मतदान केन्द्र में या उसके पास				
1	मतदान की तारीख (खों) पर प्रतिबंध:- (क) मतदान केन्द्र में या उसके पास संयाचना; या (ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना या (ग) किसी निर्वाचक को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने हेतु मनाना। (घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनानाः या (ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130	संज्ञेय	250 रु तक का जुर्माना
2	ऐसा कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में या उसके आसपास मतदान में विहन डालने के लिए विच्छृंखल ढंग से चिल्लाता है या लाउड स्पीकर अथवा मेगाफोन जैसी सामग्री का प्रयोग करता है, उसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा और ऐसी सामग्री को अभिगृहीत कर सकेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131	पीठासीन अधिकारी के आदेश पर पुलिस, अपराधी को गिरफतार कर सकती है	3 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों
3	किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र में अवचार करने या पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों की अवज्ञा करने पर उसे ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से हटा दिया गया है, पीठासीन अधिकारी की आज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132	संज्ञेय	3 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों
आयुध ले जाने के विरूद्ध				
	रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारुढ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपराध करता है,	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 ख	संज्ञेय	2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
ईवीएमएस/मतदान पत्र में छेड-छाड करने के विरूद्ध				
1	यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से मतपत्र या ईवीएम बाहर ले गया है तो वह अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलासी ले सकेगा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी तलासी करवा सकेगा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135	पीठासीन अधिकारी के आदेश से पुलिस अपराधी को गिरफतार कर सकती है	1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
2	बूथ पर कब्जा करना अपराध है। बलात बूथ ग्रहण करने में निम्नलिखित शामिल हैं- (1) किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना। (2) या केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से बाध्य/निवारित करना; (3) मतगणना करने के लिए किसी स्थान का अभिग्रहण करना	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 क	संज्ञेय	यदि अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो 3-5 वर्ष का कारावास और जुर्माना तथा अन्यों के लिए 1 से 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना

3	यदि कोई व्यक्ति किसी मतपत्र या ईवीएम या मतपत्र या ईवीएम पर बने अधिसासी चिह्न को निरुपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा या किसी मतपेटी में मतपत्र के अलावा कोई चीज डालता है या ईवीएम के चिह्न/नामों/बैलट बटन पर कोई कागज, टेप आदि चिपकाता है तो वह निर्वाचन के उद्देश्य से अपराध करता है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 136	संज्ञेय	यदि अपराध निर्वाचन ड्यूटी में नियोजित किसी अधिकारी या लिपिक द्वारा किया गया है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों और अन्यों के लिए 6 महीने का कारावास या जुर्माना
किसी को मतदान के अधिकार से वंचित करने के विरुद्ध				
1	नियोक्ता द्वारा मतदान की तारीख में मत देने के हकदार प्रत्येक कर्मचारी को सवेतन अवकाश की मंजूरी न देना	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख	गैर संज्ञेय	500 रु. तक जुर्माना
मतदाताओं को रोकना, डराना/लालच देना				
1	कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए विधि द्वारा उपबंधित भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभिग्रस्त करेगा, उसे दोषी समझा जाएगा	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(I) (VII)	संज्ञेय	
2	रिश्वत- (i) जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए ईनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा (ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए ईनाम के रूप में प्रति-गृहीत करता है, वह रिश्वत का अपराध करता है। परंतु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा। 2 जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है। 3 जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहित करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरुप, या जो बात उसने नहीं की है, उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख/171ड.	गैर संज्ञेय	1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
3. निर्वाचनों में असम्यक असर डालना-				
1	जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में खेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह	भारतीय दंड सहिता की धारा 171ग/171च	गैर संज्ञेय	एक वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों

	निर्वाचन में असम्यक असर डालने का अपराध करता है।			
2	*उपधारा* **(1)** *के उपबंधो की व्यापकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई-* (क) *किसी अभ्यर्थी या मतदाता को या किसी ऐसे व्यकित को जिससे अभ्यर्थी का मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की अति करने की धमकी देता है, अथवा* (ख) *किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह उपधारा* **(1)** *के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है,*			
3	*लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।*			
4	*निर्वाचनों में प्रतिरूपण- जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार दे चुकने के बाद उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है;* *परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी के रुप में मत देता है, परोक्षी के रुप में मत देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।*	*भारतीय दंड सहिता की धारा* **171घ/171च**	*गैर संज्ञेय*	*दंड के साथ जुर्माना जो पांच सौ रुपय तक हो सकता है।*
5	*जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला ऐसा कोई कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका गिथ्या होना वह जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसका सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह अपराध करता है।*	*भारतीय दण्ड संहिता की धारा* **171छ**	*गैर संज्ञेय*	*जुर्माना*

6.	जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय केरगा या करना प्राधिकृत करेगा परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रूपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।	भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ज	गैर संज्ञेय	जुर्माने के साथ दंड जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है।
7.	विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्धित करने वाले कथन- जो कोई जन श्रुति या संत्रासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिससे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।	भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2)	संज्ञेय	5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
8.	अभ्यर्थी द्वारा फाइल किए गए शपथ पत्र में मिथ्या शपथ पत्र दाखिल करना या शपथ पत्र में कोई सूचना छिपाना।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 क	गैर संज्ञेय	छः महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों
9.	निर्वाचक नामावली की तैयारी पुनरीक्षण या शुद्धि करने या निर्वाचन नामावली में या में किसी प्रविष्टि के सम्मिलित किए जाने या उसमें अप्रवर्जित करने के संबंध में मिथ्या घोषणा।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा31	गैर संज्ञेय	1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों
ड्यूटी में लोक कर्मचारी को क्षति पहुंचाने के विरूद्ध				
1.	जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से लोक सेवक को ड्यूटी निभाने से रोकने के लिए सामान्य और घोर क्षति पहुंचाता है या उस पर हमला करता है।	भारतीय दंड संहिता की धारा 332/ 333/353	संज्ञेय	2से 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना
पुस्तिकाओं/पोस्टरों/पर्चों/प्लेकार्ड/से संबंधित				
1.	जो कोई व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका, पोस्टर, पर्चियां या प्लेकार्डस जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह अपराध करता है।	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा127क	गैर संज्ञेय	6 महीने का कारावास या 2000 रू. तक का जुर्माना या दोनों
भ्रष्ट आचरण				
1.	रिश्वतः (अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निवार्चन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि- (क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता (वापस लेने के लिए), अथवा (ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए, अथवा जो- (i) किसी व्यक्ति के लिएइस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ था उसने	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा123(1)		उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।

	अपनी अभ्यर्थिता (वापस ले ली या नहीं ली), अथवा (ii) *किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा, इनाम के रूप में हो,* *(आ) किसी पारितोषण, चाहे यह प्रेरक या पुरस्कार के रूप में हो, की प्राप्ति या प्राप्त करने के लिए करार-* **(क)** *व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता (वापस लेने या न लेने के लिए); या* **(ख)** *किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो, स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता (वापस लेने या न लेने के लिए)उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,* *चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत कोई पारितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना।*			
2.	*असम्यक असर डालना- किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से)किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षत: या परत: हस्तक्षेप का प्रयत्न:* **(क)** *इस खंड के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो-* (i) *किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा* (ii) *किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, देवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खंड के अर्थ के अंदर हस्तक्षेप करता है;* **(ख)** *लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अंदर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(2)		*उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।*
3.	*किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील था उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(3)		*उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।*
4.	*किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों की बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(3क)		

	भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना			
5.	*किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(3ख)		*उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।*
6.	*किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के संबंध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से)किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नही करता है और जो उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित है।*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(4)		
7.	*धारा* **25** *के अधीन उपबंधित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा* **29** *की उपधारा* (1) *के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न)किसी निर्वाचक के (मुक्त प्रवहरण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी, या उसके अभिकर्ता द्वारा)या (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से)किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा (ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना)*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(5)		
8.	*धारा* **77** *के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(6)		
9.	*(किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं)और निम्नलिखित वर्गों में से, अर्थात***:** **(क)** *राजपत्रित आफिसरों,* **(ख)** *सांबलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,* **(ग)** *संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,* **(घ)** *पुलिस बलों के सदस्यों,* **(ङ)** *उत्पाद शुल्क आफिसरों,* **(च)** *राजस्व आफिसरों, जो लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निवर्हन नहीं करते, और* **(छ)** *सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जांए।*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(7)		*उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।*
10.	*अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण* (1) *निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है, इस धारा में के 'अभिकर्ता' पद के अंतर्गत आते हैं।* (2) *यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है तो खंड* (7) *के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है।* (3) *खंड* (7) *के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी*	*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम* **1951** *की धारा*123(8)		*उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका में दिए गए भ्रष्ट आचरण पर कार्रवाई की जा सकती है।*

	केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति को (जिसके अंतर्गत किसी संघ के प्रशासन के संबंध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है)या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन:- (i) *यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवासन, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और* (ii) *जहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा से पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चयात्मक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा से पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नही रहा था।* (4) *खंड* (8) *के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात ग्रहण''का वही अर्थ है जो धारा* **135** *क में है।*			